## राजनीतिक

- **इस बार मेनका गांधी को टिकट मिलने की संभावना नहीं**

सूत्रों की मानें तो मेनका गांधी को सुल्तानपुर से बीजेपी का टिकट मिलने की संभावना नहीं है।

- **किसकी अंग्रेजी बेहतर है**

पूरा देश जानता है कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ है, लेकिन ऐसा लगता है कि नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतने ही जानकार हैं। हाल ही में उड़ानों में देरी को लेकर दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ गई थी। जब थरूर ने इस मुद्दे पर कुछ ट्वीट किए तो सिंधिया ने उनके एक ट्वीट में लिखा कि थरूर थिसॉरस की गूढ़ दुनिया में खो गए हैं।

## प्रशासनिक

- **भारत के मुख्य न्यायाधीश**

भारत के 50 वें मुख्य न्यायाधीश डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर, 2024 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उन्होंने 8 नवंबर, 2022 को सीजेआई का पद संभाला। उनका स्थान न्यायमूर्ति संजीव खन्ना लेंगे, जो मई 2025 में सेवानिवृत्त होंगे।

- **पवन कुमार बोरठाकुर असम में आईआरए के अध्यक्ष होंगे**

मार्च के अंत में सेवानिवृत्ति के बाद असम के मुख्य सचिव पवन कुमार बोरठाकुर को टीवाई दास का कार्यकाल समाप्त होने के बाद रेरा का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है।

- **कैट के नए सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी**

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) में फरवरी में 15 प्रशासनिक सदस्यों और 10 न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति होनी है।

- **सुश्री संजुक्ता मुद्गल मूल कैडर में लौटीं**

संस्कृति मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव सुश्री संजुक्ता मुद्गल को कैडर में पदोन्नति का लाभ उठाने के लिए उनके मूल कैडर में वापस भेज दिया गया है। वह एमपी कैडर की 1990 बैच की आईएफएस अधिकारी हैं।

- **के जयगणेश मूल कैडर में लौटे, मिली पोस्टिंग**

के जयगणेश को प्रतिनियुक्ति से लौटने पर चेन्नई, तमिलनाडु और पुडुचेरी क्षेत्र के प्रधान सीसीआईटी कार्यालय में अतिरिक्त सीआईटी (ओएसडी) के रूप में नियुक्त किया गया है। वह एक आईआरएस-आईटी अधिकारी हैं।

- **कैबिनेट ने 16वें वित्त आयोग के लिए पदों के सृजन को मंजूरी दी**

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16वें वित्त आयोग के लिए संयुक्त सचिव के स्तर पर तीन पदों यानी संयुक्त सचिव के दो पद और आर्थिक सलाहकार के एक पद के सृजन को मंजूरी दे दी है, जिसका गठन 31 दिसंबर को अधिसूचना के तहत संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसरण में किया गया था। नए सृजित पदों को आयोग को अपने कार्यों को पूरा करने में सहायता करने की आवश्यकता है। आयोग में अन्य सभी पद प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप पहले ही सृजित किये जा चुके हैं।

- **सीबीआई में सात सहायक लोक अभियोजक पदों के लिए 32 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया**

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने सीबीआई में सात सहायक लोक अभियोजकों के पदों के लिए 32 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया है। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों ने 17 दिसंबर, 2023 को आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा पास कर ली है और अब उन्हें जल्द ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

- **सहायक निदेशक (कॉर्पोरेट लॉ) के 13 पदों के लिए 56 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट**

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) में सहायक निदेशक (कॉर्पोरेट कानून) के 13 पदों के लिए 56 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया है। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों ने 17 दिसंबर, 2023 को आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा पास कर ली है और अब उन्हें जल्द ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

- **100 से अधिक चार्टर्ड उड़ानें अयोध्या आ रही हैं**

जानकारी के मुताबिक, नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डे पर कथित तौर पर 100 से अधिक चार्टर्ड उड़ानें उतर रही हैं। बताया जा रहा है कि अयोध्या में बड़ी संख्या में मेहमान आ रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर विमान आसपास के सभी हवाईअड्डों पर पार्क किए जाएंगे।

- **एससीएससी के माध्यम से निदेशक (एस एंड सीए), ओएनजीसी का चयन**

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय खोज-सह-चयन समिति (एससीएससी) के माध्यम से ओएनजीसी के निदेशक (रणनीति और कॉर्पोरेट मामले) के पद के लिए एक उम्मीदवार का चयन करेगा।

- **छत्तीसगढ़ कैडर के आठ आईपीएस अधिकारी 2024 में सेवानिवृत्त होंगे**

छत्तीसगढ़ के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के कुल आठ अधिकारी 2024 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

- **तेलंगाना कैडर से एडीजी स्तर पर कोई पैनलीकरण नहीं**

तेलंगाना कैडर से 1995 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के किसी भी अधिकारी को भारत सरकार में अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) या समकक्ष पद संभालने के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया है।

- **डॉ अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर के लिए एसोसिएट प्रोफेसर पद विज्ञप्ति**

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने प्रतिनियुक्ति के आधार पर डॉ अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन 29 फरवरी, 2024 तक या उससे पहले पहुंच जाने चाहिए।

- **आपदा प्रबंधन प्रभाग में सलाहकार पदों के लिए आवेदन आमंत्रित**

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने मंत्रालय के आपदा प्रबंधन प्रभाग में अनुबंध के आधार पर सलाहकार-सहायक निदेशक के पदों के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन 31 जनवरी, 2024 तक या उससे पहले पहुंच जाने चाहिए।

# भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाना है : केशव प्रसाद मौर्य

## उप मुख्यमंत्री ने योजनाओं के लाभार्थियों को वितरित किया प्रमाण पत्र

लखनऊ

**उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' के अवसर पर दुबग्गा लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लाभार्थियों के साथ किये गये वर्चुअल संवाद कार्यक्रम को सुना। वहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चाभी वितरित किया व विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लाभान्वित किया।**

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा ने जन आंदोलन का रूप ले लिया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा शासकीय योजनाओं से वंचित पात्र हितधारकों के लिए स्वर्णिम अवसर है। कहा कि हम सभी भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र व दुनिया की महाशक्ति बनाने के संकल्प के साथ इस कार्यक्रम से जुड़ें। मोदी की गारंटी गाड़ी द्वारा वंचित लोगों को योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। स्वच्छता से लेकर दीपोत्सव आयोजन में बनें सहभागी, 22 जनवरी को दीप जलाने की करें तैयारी

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी लोग 22 जनवरी को दीप जलाने की तैयारी करें। गांव, मोहल्लों मन्दिरों व सभी स्थानों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलायें, रंगोली सजायें और 22 जनवरी को अपने घरों में दीप जलाकर अयोध्या में श्रीरामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की खुशी मनायें। स्वच्छता से लेकर दीपोत्सव तक के आयोजन में सभी लोग सहभागी बनें।

# राज्यपाल ने 500 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए बांटा प्री स्कूल आंगनवाड़ी किट

लखनऊ

**उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गुरुवार को एक कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि अधिकारी अपने शक्तियों को प्रयोग जनकल्याण के लिए करें।**

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नगर निगम लखनऊ की ओर से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में आयोजित आंगनवाड़ी किट का वितरण किया। इस कार्यक्रम में 500 आंगनबाड़ी केंद्रों को सुसज्जित करने के लिए प्री स्कूल किट तथा 10 अति कुपोषित बच्चों को 'मिलेट पोषण किट' का वितरण किया। ज्ञातव्य है कि राज्यपाल की प्रेरणा से प्रदेश में आंगनवाड़ी केन्द्रों को सुविधा सम्पन्न बनाए जाने के लिए 9000 से अधिक आंगनवाड़ी किट प्रदान किए जा चुके हैं। कार्यक्रम में कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत आंगनबाड़ी किट वितरण के लिए सहयोग करने वाली संस्थाओं स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, रामा कृष्णनन पेस्टीसाइड्स, मेदांता ग्रुप, मेडिकल कार्पोरेशन और करम इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधियों को राज्यपाल ने प्रशस्ति पत्र वितरित किया।

राज्यपाल ने आंगनबाड़ी केन्द्र को सुविधा सम्पन्न बनाये जाने व बच्चों के शिक्षण एवं खेलकूद के लिए साधन प्रदान करने के लिए सहयोगकर्ताओं को बधाई दी। कहा कि गरीब, झोपड़पट्टी में रहने वाले व अनाथ बच्चों की परवरिश, शिक्षण, स्वास्थ्य, संस्कार व उनके भविष्य के लिए समाज को आगे आना चाहिए।

# योगी सरकार ने गरीब बेटियों को शादी अनुदान देने के लिए आनलाइन मांगा आवेदन

कानपुर।

**योगी सरकार पिछड़े वर्ग के गरीब परिवार की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता देने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आनलाइन आवेदन मांगा है। हालांकि अल्पसंख्यक वर्ग शामिल नहीं है। यह जानकारी शुक्रवार को जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी विनय उत्तम ने दी।**

उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक को छोड़कर पिछड़ी जाति के गरीब परिवार की बेटियों की सरकार शादी अनुदान योजना के लिए आर्थिक सहायता दे रही है।

**जाने कहा करना है आवेदन :** विनय उत्तम ने बताया कि योजना के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वेबसाइट में आधार आधारित प्रमाणीकरण की नई व्यवस्था (ई-के.वाई.सी.) संबंधी कतिपय महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं। अन्य पिछड़े वर्ग के आवेदक को निम्नानुसार आधार कार्ड लिंक मोबाइल नम्बर पर ओ.टी.पी. के माध्यम से अपना आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि शादी अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए आनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने के लिये सबसे पहले आवेदक द्वारा आनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अपने आधार कार्ड एवं आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नम्बर तथा जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, बैंक खाते की पासबुक (जिसमें पूर्ण विवरण हो), शादी का कार्ड आदि अभिलेख होना आवश्यक हैं।

**कौन कर सकता है आवेदन :** पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि गरीब बेटी की मां एवं पिता के अतिरिक्त अभिभावक आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन शादी अनुदान पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण कराने के लिए अपना आधार नंबर अंकित कर आधार अभिप्रमाणन की प्रक्रिया शुरू करेगा। शादी अनुदान पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2023-24 से आवेदक तथा पुत्री, जिसकी शादी अनुदान हेतु आवेदन किया जा रहा है, दोनों का आधार आधारित ई-के.वाई.सी. सुनिश्चित किया जाता है। अतः आधार से लिंक मोबाइल नम्बर साथ होना अनिवार्य है। आवेदक द्वारा शादी का प्रमाण पत्र अथवा शादी का कार्ड जो पठनीय हो), बैंक की पासबुक (पठनीय हो), प्रथम पृष्ठ जिसमें आवेदक (खाताधारक व बैंक का नाम, बैंक का खाता संख्या व आई.एफ.एस. कोड का विवरण अंकित हो) अपलोड किया जायेगा।

# वायु एवं ध्वनि प्रदुषण से मुक्त होगी अयोध्या, चलेंगी 200 इलेक्ट्रिक बस

लखनऊ

**प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि आगामी 22 जनवरी को अयोध्याधाम में श्रीराम जन्मभूमि परिसर में निर्मित पुरूषोत्तम भगवान श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में व इसके बाद भी आने वाले श्रद्धालुओं, यात्रियों एवं पर्यटकों तथा स्थानीय निवासियों की सुविधा के लिए तथा उन्हें आरामदायक एवं सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए नगर विकास विभाग द्वारा अयोध्याधाम के छह रूटों पर 200 इलेक्ट्रिक बसों को संचालित किया जायेगा।**

उन्होंने बताया कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने अयोध्यावासियों के लिए 50 ई-बसों और 25 ई-आटो की सौगात दी थी। योगी सरकार के इस निर्णय से अयोध्या आने वाले यात्रियों और श्रद्धालुओं को काफी राहत मिलेगी। नगर विकास मंत्री ने कहा कि 14 जनवरी को मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट से अयोध्या धाम के लिए भी ई-बस सेवा का शुभारम्भ किया था। आगामी 20 जनवरी तक नगर विकास विभाग द्वारा 200 इलेक्ट्रिक बसों को संचालित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 4 ई-बसें (7 मीटर) का एयरपोर्ट के यात्रियों की सुविधा के लिए महर्षि वाल्मीकि अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से श्रीराम जन्मभूमि तक वाया लता मंगेशकर चौक मार्ग पर संचालन कराया जायेगा।

जिन छह रूटों पर इन बसों का संचालन किया जाना है, उसमें 23 किलोमीटर लम्बे कटरा रेलवे स्टेशन से सहादतगंज (रूमट) पर लाल कलर कोड की 40 बसें चलेंगी, सलारपुर से अयोध्याधाम बस स्टेशन तक 22 किमी लम्बे मार्ग पर पीले कलर कोड की 40 बसें, अयोध्याधाम बस स्टेशन से भरतकुंड तक 41 किमी0 लम्बे मार्ग पर नारंगी कलर कोड की 40 बसों से प्रयागराज एवं सुल्तानपुर व इससे जुड़े मार्गो से आने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। अयोध्याधाम बस स्टेशन से बारून बाजार तक 33 किमी0 लम्बे मार्ग पर बैगनी कलर कोड की 40 बसों से बांदा एवं झांसी व इससे सम्बद्ध मार्ग के यात्रियों को सुविधा मिलेगी। अयोध्याधाम बस स्टेशन से पूरा बाजार तक 33 किमी लम्बे मार्ग पर हरे कलर कोड की 40 बसें चलायी जायेंगी। इसके अतिरिक्त महर्षि बाल्मीकि अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से श्रीराम जन्मभूमि तक वाया लता मंगेशकर चौक से 17 किमी0 लम्बे मार्ग पर 04 इलेक्ट्रिक बसें चलायी जायेंगी।

**इलेक्ट्रिक बसों की चलो ऐप के माध्यम से की जा सकेगी ट्रैकिंग :** एके शर्मा ने कहा कि वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें व ई-ऑटो श्रद्धालुओं, यात्रियों एवं दर्शनार्थियों के लिए काफी सुलभ, सुरक्षित एवं लोकप्रिय पब्लिक ट्रॉन्सपोर्ट के रूप में जानी जायेंगी।

**कार्यालय सम्पदा अधिकारी, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो. विकास मंडल प्रक्षेत्र-1, गोमंतिका परिसर, जवाहर चौक भोपाल**

**आम सूचना**

हाऊसिंग बोर्ड कालोनी रुसल्ली बैरसिया रोड भोपाल में स्थित भूखण्ड क्रमांक ई.डब्ल्यू.एस. 155 मण्डल द्वारा श्री अब्दुल लतीफ आत्मज श्री अब्दुल हमीद खान के नाम से आवंटित है। उक्त सम्पत्ति का विक्रय विलेख दिनांक 08.04.1994 को पंजीकृत है। श्री अब्दुल लतीफ द्वारा उक्त सम्पत्ति का मुख्तारआम दिनांक 11.7.2023 को श्री मोहम्मद फैजान आत्मज श्री मोहम्मद अतीक के नाम से किया गया है। उक्त मुख्तारग्रहिता द्वारा उक्त सम्पत्ति श्री मोहम्मद सलमान आत्मज श्री मोहम्मद मेहबूब को विक्रय विलेख के माध्यम से विक्रय कर दिया है। जिसका विक्रय विलेख दिनांक 05.12.2023 को पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है। क्रेता/विक्रेता द्वारा आवेदन, शपथ पत्र, संयुक्त शपथ पत्र, विक्रय विलेख की छाया प्रति प्रस्तुत करते हुए उक्त सम्पत्ति श्री मोहम्मद सलमान आत्मज श्री मोहम्मद मेहबूब के नाम से हस्तांतरित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेजों के आधार पर उक्त सम्पत्ति के हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। यदि उक्त संपत्ति के संबंध में किसी व्यक्ति/ उत्तराधिकारी/ संस्था/ वित्तीय संस्था इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

**सम्पदा अधिकारी, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो. विकास मंडल प्रक्षेत्र-1, भोपाल**

4141

**कार्यालय सम्पदा अधिकारी, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो. विकास मंडल प्रक्षेत्र-1, गोमंतिका परिसर, जवाहर चौक भोपाल**

**आम सूचना**

हाऊसिंग बोर्ड, एन.आर.आई. कालोनी लेक व्यू कोहेफिजा भोपाल में स्थित भवन क्रमांक एच.आई.जी./एच.बी.-66 मण्डल द्वारा श्री मुजफ्फर मोहम्मद खान आत्मज स्व. श्री असगर मोहम्मद खान के नाम से हस्तांतरित है। उक्त सम्पत्ति का विक्रय विलेख पंजीयन पंजीयक कार्यालय से दिनांक 26.12.2011 को पंजीकृत है। श्री मुजफ्फर मोहम्मद खान आत्मज स्व. स्व. श्री असगर मोहम्मद खान द्वारा उक्त सम्पत्ति श्री शौकत मोहम्मद खान आत्मज स्व. श्री असगर मोहम्मद खान को दान पत्र विलेख के माध्यम से दान दिया है। जिसका दान पत्र विलेख का पंजीयन पंजीयक कार्यालय में दिनांक 25.9.2019 को निष्पादित करा दिया है। दानदाता/ दानग्रहिता द्वारा आवेदन, शपथ पत्र, संयुक्त शपथ पत्र, परिचय पत्र, दान विलेख की छायाप्रति एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर उक्त सम्पत्ति श्री शौकत मोहम्मद खान आत्मज स्व. श्री असगर मोहम्मद खान के नाम उक्त सम्पत्ति हस्तांतरण हेतु दस्तोवेज प्रस्तुत किए हैं। उक्त दस्तावेजों के आधार पर उक्त सम्पत्ति के हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। यदि उक्त संपत्ति के संबंध में किसी व्यक्ति/ उत्तराधिकारी/ संस्था/ वित्तीय संस्था इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

**सम्पदा अधिकारी, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो. विकास मंडल प्रक्षेत्र-1, भोपाल**

4142

In The Court Of III Civil Judge Class-I District Court Bhopal

Presiding Officer: **तथागत याग्निक**

(आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम सक्सेशन प्रकरण क्रमांक)

(MJCSUC/0000001/2024)

दीपक श्रीवास्तव............. आवेदक V/S

सर्वसाधारण ............. अनावेदक

Process Id- /2024

पेशी दिनांक : 21/02/2024

**प्रेषिती :** (1) सर्वसाधारण पता- सर्वसाधारण (2) आम जनता

आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक दीपक श्रीवास्तव पता ने मृतक प्रेमलता श्रीवास्तव निवासी ई-2/101 अरेरा कालोनी भोपाल की राशि/संपत्ति हेतु उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इस न्यायालय में आवेदन किया है जिसकी सुनवाई दिनांक 21 फरवरी 2024 को नियत है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रकरण में आवेदक को उक्त मृतक का उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक/संरक्षक होने संबंधी प्रमाण पत्र जारी किए जाने में कोई आपत्ति हो अथवा उक्त प्रकरण में वह अपना हक समझता हो तो पेशी दिनांक 21 फरवरी 2024 को न्यायालय में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहें, सूचना उपरांत यदि अनुपस्थिति रहे तो प्रकरण की सुनवाई एक पक्षीय की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जाएगा। यह आज तारीख 18 जनवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

**कृपया ध्यान दें :** यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जावेगा।

**तथागत याग्निक, (न्यायाधीश) तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भोपाल (म.प्र.)**

4143

In The Court Of III Civil Judge Class-I District Court Bhopal

Presiding Officer: **तथागत याग्निक**

(MJCSUC/0000224/2023)

प्रबंधक/मैनेजमेंट माउंट कार्मलिट सिस्टक आफ एस.टी. टेरेसा सी.एस.एस.टी. द्वारा सिस्टर डायना लीना............. V/S

बैंक ऑफ इंडिया ............. अनावेदक

Process Id- /2024

पेशी दिनांक : 22/02/2024

**प्रेषिती :** (1) सर्वसाधारण पता- सर्वसाधारण (2) आम जनता

आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक प्रबंधक/मैनेजमेंट माउंट कार्मलिट सिस्टर ऑफ एसटी. टेरेसा सी.एस.एस.टी. द्वारा सिस्टर डायना लीना पता ने मृतक GRACIA SUSHINAITHAN निवासी MOUNT CARMEL CONVENT SCHOOL KOLAR ROAD BHOPAL की 90,000/- (नब्बे हजार रुपए) की राशि/संपत्ति हेतु उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक संरक्षक नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इस न्यायालय में आवेदन किया है जिसकी सुनवाई दिनांक 22 फरवरी 2024 को नियत है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रकरण में आवेदक को उक्त मृतक का उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक/संरक्षक होने संबंधी प्रमाण पत्र जारी किए जाने में कोई आपत्ति हो अथवा उक्त प्रकरण में वह अपना हक समझता हो तो पेशी दिनांक 22 फरवरी 2024 को न्यायालय में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहें, सूचना उपरांत यदि अनुपस्थिति रहे तो प्रकरण की सुनवाई एक पक्षीय की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जाएगा। यह आज तारीख 4 जनवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

**कृपया ध्यान दें :** यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जावेगा।

**तथागत याग्निक, (न्यायाधीश) तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भोपाल (म.प्र.)**

4144

In The Court Of III Civil Judge Class-I District Court Bhopal

Presiding Officer: **तथागत याग्निक**

(आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम सक्सेशन प्रकरण क्रमांक)

(MJCSUC/0000235/2023)

बबित साहू............. आवेदक V/S

भोपाल कोआपरेटिव सेन्ट्रल बैंक लिमिटेड ..अनावेदक

Process Id- /2024

पेशी दिनांक : 11/03/2024

**प्रेषिती :** (1) सर्वसाधारण पता- सर्वसाधारण (2) आम जनता

आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक बबित साहू पता ने मृतक मधु प्रसाद साहू निवासी 1050 बानगंगा 26/41 के पास नार्थ टी.टी. नगर हुजूर भोपाल की राशि/संपत्ति हेतु उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इस न्यायालय में आवेदन किया है जिसकी सुनवाई दिनांक 11 मार्च 2024 को नियत है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रकरण में आवेदक को उक्त मृतक का उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक/संरक्षक होने संबंधी प्रमाण पत्र जारी किए जाने में कोई आपत्ति हो अथवा उक्त प्रकरण में वह अपना हक समझता हो तो पेशी दिनांक 11 मार्च 2024 को न्यायालय में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहें, सूचना उपरांत यदि अनुपस्थिति रहे तो प्रकरण की सुनवाई एक पक्षीय की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जाएगा। यह आज तारीख 12 जनवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

**कृपया ध्यान दें :** यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जावेगा।

**तथागत याग्निक, (न्यायाधीश) तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भोपाल (म.प्र.)**

4145

**प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बैरसिया के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, बैरसिया जिला भोपाल (म.प्र.)**

Presiding Officer: **श्रीमती श्रुति चौहान**

(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्रकाशन हेतु)

(RCSA/0000022/2021)

मंजू श्रीवास्तव....................... वादी

V/S खुशबू श्रीवास्तव ................ प्रतिवादी

Process Id-/2024

पेशी दिनांक : 15/02/2024

**प्रेषिती :** (1) खुशबू श्रीवास्तव पति सतीश श्रीवास्तव पता- ग्राम लाम्बाखेड़ा जिला भोपाल म.प्र., 2. आरती श्रीवास्तव पति विशाल श्रीवास्तव पता- ग्राम लाम्बाखेड़ा जिला भोपाल म.प्र., 3. पूजा श्रीवास्तव पति विक्रम श्रीवास्तव पता- ग्राम तलेन जिला राजगढ़ म.प्र.।

यह कि प्रार्थी मंजू श्रीवास्तव ने आपके विरुद्ध धारा 09 अधिनियम 1908 के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिए उपसंजात/हाजिर होने के लिए सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक अनुदेश दिए गए हों और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करे और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रुप में निर्भर करते हैं तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख 16 जनवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्य दिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जाएगा।

**प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बैरसिया के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश बैरसिया जिला भोपाल म.प्र.**

4146

**कार्यालय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी फिजा स्टेट गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल**

**पंजीयन क्रमांक/डी.आर.बी./875, दिनांक 9.08.2001**

**क्र../निर्वा. अधि./2024/03 दि. 19.1.2024**

**सूचना**

संस्था के समस्त सम्माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संस्था के संचालक मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन साधारण सम्मेलन/ विशेष साधारण सम्मेलन में संपन्न होना है। अतः संस्था की सदस्यता सूची का प्रकाशन संस्था के नोटिस बोर्ड उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ डी ब्लाक पुराना सचिवालय भोपाल विकास खण्ड फंदा एवं भोपाल सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा मोतिया पार्क भोपाल के सूचना पटल पर दिनांक 19.01.2024 को किया गया है। यदि किसी भी सदस्य को इस पर कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो दिनांक 19.01.2024 से 27.01.2024 तक कार्यालयीन दिवस में मुझे कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं डी ब्लाक पुराना सचिवालय भोपाल में कार्यालयीन समय में दोपहर 12 से 04 बजे तक सप्रमाण लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं तथा प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निराकरण कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं डी ब्लाक पुराना सचिवालय भोपाल में दिनांक 30.01.2024 को दोपहर 12 बजे से किया जायेगा। सूचना संस्था के समस्त सदस्यों को साधारण डाक द्वारा पृथक से प्रेषित की गई है।

**पंकज श्रीवास्तव रजिस्ट्रीकरण अधिकारी फिजा स्टेट गृह निर्माण सह. संस्था मर्यादित भोपाल**

4147

**कार्यालय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इंदौर बैंक कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल**

**पंजीयन क्रमांक/ए.आर.बी./904, दिनांक 31.03.2006**

**क्र./निर्वा. अधि./2024/03 दि. 19.1.2024**

**सूचना**

संस्था के समस्त सम्माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संस्था के संचालक मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन साधारण सम्मेलन/ विशेष साधारण सम्मेलन में संपन्न होना है। अतः संस्था की सदस्यता सूची का प्रकाशन संस्था के नोटिस बोर्ड उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ डी ब्लाक पुराना सचिवालय भोपाल विकास खण्ड फंदा एवं भोपाल सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा एम.पी. नगर भोपाल एवं भारतीय स्टेट बैंक शाखा एम.पी. नगर भोपाल के सूचना पटल पर दिनांक 19.01.2024 को किया गया है। यदि किसी भी सदस्य को इस पर कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो दिनांक 19.01.2024 से 27.01.2024 तक कार्यालयीन दिवस में मुझे कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं डी ब्लाक पुराना सचिवालय भोपाल में कार्यालयीन समय में दोपहर 12 से 02 बजे तक सप्रमाण लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं तथा प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निराकरण कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं डी ब्लाक पुराना सचिवालय भोपाल में दिनांक 30.01.2024 को दोपहर 12 बजे से किया जायेगा। सूचना संस्था के समस्त सदस्यों को साधारण डाक द्वारा पृथक से प्रेषित की गई है।

**कल्पना सोलंकी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, इंदौर बैंक कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल**

4148

## आपका राशिफल 20 जनवरी

**मेष** (चू चे चो ला ली लू ले लो अ): कारोबारी काम में नवीन तालमेल और समन्वय बन जाएगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कर भला तो हो भला वाली कहावत याद रखें। किसी को हानी पंहुचाने की चेष्टा न करें अन्यथा हानि संभव है। धार्मिक कार्य में समय और धन व्यय होगा। कर्ज तथा रोगों से मुक्ति भी संभव है। इच्छित कार्य सफल होंगे। शुभांक-5-6-8

**वृष** (इ उ ए ओ वा वी वू वे वो): यात्रा शुभ रहेगी। अपने काम पर पैनी नजर रखिए। विरोधी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। अपने काम को प्राथमिकता से करें। आर्थिक हित के काम को साधने में मदद मिल जाएगी। व्यर्थ प्रपंच में समय नहीं गंवाकर अपने काम पर ध्यान दीजिए। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। शुभांक-6-7-8

**मिथुन** (का की कू घ ङ छ के को ह): शनैः-शनैः स्थिति पक्ष की बनने लगेगी। मेल-मिलाप से काम बनाने की कोशिश लाभ देगी। यात्रा का दूरगामी परिणाम मिल जाएगा। आशा और उत्साह के कारण सक्रियता बढ़ेगी। सुखद समय की अनुभूतियां प्रबल होंगी। लाभदायक कार्यों की चेष्टाएं प्रबल होंगी। शुभांक 2 6 9

**कर्क** (ही हू हे हो डा डी डू डे डो): मध्याह्न से ही आशाएं बलवती होंगी। महत्त्वपूर्ण कार्यों को आज ही निबटा लें उसके बाद समय व्ययकारी सिद्ध होगा। भ्रातृपक्ष में विरोध होने की संभावना है। व्यापार व व्यवसाय में ध्यान देने से सफलता मिलेगी। इच्छित कार्य सफल होंगे। आर्थिक हित के काम को साधने में मदद मिल जाएगी। शुभांक-6-7-9

**सिंह** (मा मी मू मे मो टा टी टू टे): कामकाज में आ रही बाधा को दूर कर लेंगे। सुविधा और समन्वय बना रहने से कामकाज में प्रगति बन जाएगी। आर्थिक हित के काम को साधने में मदद मिल जाएगी। यात्रा शुभ रहेगी। माता पक्ष से विशेष लाभ। कार्यक्षेत्र में संतोषजनक सफलता मिलेगी। यात्रा का परिणाम मिल जाएगा। शुभांक-4-6-7

**कन्या** (टो पा पी पू ष ण ठ पे पो): अपने काम पर पैनी नजर रखिए। स्वास्थ्य लाभ में समय और धन व्यय होगा। लेन-देन में अस्पष्टता ठीक नहीं। मध्याह्न पूर्व समय आपके पक्ष का बना रहेगा। समय पक्ष का बना रहेगा। कारोबारी काम में प्रगति बनती रहेगी। लेन देन में आ रही बाधा दूर करने का प्रयास होंगे। शुभांक-4-6-8

**तुला** (रा री रु रे रो ता ती तू ते): कहीं रुका हुआ पैसा वसूलने में मदद मिल जाएगी। व्यर्थ प्रपंच में समय नहीं गंवाकर अपने काम पर ध्यान दीजिए। पूर्व नियोजित कार्यक्रम सरलता से संपन्न हो जाएंगे। व्यापार व व्यवसाय में स्थिति उत्तम रहेगी। आर्थिक हित के काम को साधने में मदद मिल जाएगी। शुभांक-1-5-7

**वृश्चिक** (तो ना नी नू ने नो य यी यू): अपने काम को प्राथमिकता से करें। आशा और उत्साह के कारण सक्रियता बढ़ेगी। आगे बढ़ने के अवसर लाभकारी सिद्ध होंगे। कुछ आर्थिक संकोच पैदा हो सकते हैं। कोई प्रिय वस्तु या नवीन वस्त्राभूषण प्राप्त होंगे। पुराने मित्र से मिलन होगा। अपने हित के काम सुबह-सवेरे निपटा लें। शुभांक-5-6-8

**धनु** (ये यो भा भी भू धा फा ढा भे): धार्मिक आस्थाएं फलीभूत होंगी। निर्मूल शंकाओं के कारण मनस्ताप भी पैदा हो सकते हैं। कामकाज की व्यस्तता से सुख-आराम प्रभावित होगा। धर्म कर्म के प्रति रुचि जागृत होगी। मानसिक एवं शारीरिक शिथिलता पैदा होगी। श्रेष्ठजनों की सहानुभूतियां होंगी। समय पक्ष का बना रहेगा। शुभांक-2-6-8

**मकर** (भो जा जी खी खू खे खो गा गी): परिवारजन का सहयोग व समन्वय काम को बनाना आसान करेगा। समय नकारात्मक परिणाम देने वाला बन रहा है। आलस्य का त्याग करें। कारोबारी काम में नवीन तालमेल और समन्वय बन जाएगा। जीवन साथी अथवा यार दोस्तों के साथ सांझे में किए जा रहे काम में लाभ मिल जाएगा। शुभांक-5-6-9

**कुंभ** (गू गे गो सा सी सू से सो दा): पूर्व नियोजित कार्यक्रम सरलता से संपन्न हो जाएंगे। जोखिम से दूर रहना ही बुद्धिमानी होगी। ले देकर की जा रही काम की कोशिश ठीक नहीं। महत्त्वपूर्ण कार्य को समय पर बना लें तो अच्छा ही होगा। आशा और उत्साह के कारण सक्रियता बढ़ेगी। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। मित्र से मिलन होगा। शुभांक 3 8 9

**मीन** (दी दू थ झ ञ दे दो चा ची): भ्रातृपक्ष में विरोध होने की संभावना है। मान सम्मान बढ़ेगा। आय व्यय की स्थिति समान रहेगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। व्यापार व व्यवसाय में ध्यान देने से सफलता मिलेगी। मेल-मिलाप से काम बनाने की कोशिश सफल होगी। आगे बढ़ने के अवसर लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं। शुभांक-3-5-6